

No.



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज. सरकार



श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास, स्वायत शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

सीए नगर

(शम्भूपुरा ग्रोथ सेंटर एकीकृत योजना)

कुल मूल्य 300

₹ 8,000/- प्रति वर्ग मीटर



आवेदन पत्र विक्रय
आरम्भ करने की तिथि

01 फरवरी
2023

आवेदन पत्र जमा
करने की अन्तिम तिथि

28 फरवरी
2023

500/-



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से रु. 500/- देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि तथा रु. 2000/- प्रशासनिक शुल्क सहित जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से उक्त बैंक में जमाहोंगे।
2. फार्म के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज़
 - (अ) आधार कार्ड की प्रति
 - (ब) पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति (आयकर दाता होने पर)
 - (स) निवास के प्रमाण पत्र की स्व अनुप्रमाणित प्रति, स्वघोषणा पत्र
 - (द) दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति
 - (य) Cancelled चैक
 - (र) बैंक ड्राफ्ट/चैक

नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार
नियमानुसार

- 1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खारीदे।
- 2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पटा प्राप्त करें।
- 3 नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
- 4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
- 5 अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खारीदें।
- 6 कोई भी भूखण्ड खारीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
- 7 भूखण्ड खारीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर शुगतान कर नगर विकास न्यास से ले आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
- 8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।



नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

मैम्बर्स
थी। के
आमज
उपलब
रखते ह
युक्त व

के सी।
एक स
एवं अं

पुरित

मैम्बर्स
करें व

नगर विकास न्यास कोटा

‘दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया’ कोटा शाखा के सीए मैम्बर्स द्वारा आवासीय भूखण्ड एक ही योजना में आवंटन हेतु लगातार मांग की जा रही थी। कोटा शहर में लगभग 1400 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स हैं। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आमजन को रियायती दरों पर गत कुछ वर्षों में बहुत अधिक संख्या में भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं। इसी भूंखला में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा की गई मांग को दृष्टिगत रखते हुए उनके के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त कम कीमत पर 300 भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये गये हैं।

न्यास द्वारा ‘दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया’ कोटा शाखा के सीए मैम्बर्स के लिए इस योजना में कुल 300 भूखण्डों के निश्चित एवं उचित दर पर एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया है ताकि उनको एक निश्चित एवं उचित दर पर भूखण्ड लेने का अवसर मिल सके।

इस योजना के लिए कई प्रकार की छूटें दी जा रही हैं, जिनका विवरण आवेदन पुस्तका में अंकित है।

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया, कोटा शाखा के सीए मैम्बर्स से अनुरोध हैं कि आवेदन पुस्तका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित ।

राजेश जोशी

आर.ए.एस.

सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

ओम प्रकाश बुनकर

आई.ए.एस.

अध्यक्ष नगर विकास न्यास, एवं
जिला कलक्टर, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

योजना में उपलब्ध भूखण्ड एवं दर

1.

क्र०सं०	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्र.व.मी.)	निश्चित विक्रय दर आवंटन हेतु प्रस्तावित दर रु. (प्र.व.मी.)	विशेष विवरण
1.	सीए नगर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना	300	3,800/-	8,000/-	कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10% अतिरिक्त राशि देय होगी।

2.

सीए नगर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना

विशेष छूट :-

1. आय वर्ग (इनकम ग्रुप) की बाध्यता नहीं :-

आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह दी गई किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

2. पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी पात्र :-

आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

3. भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट का विकल्प :-

देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करने पर भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट दी जायेगी।

नगर विकास न्यास, कोटा

विशेष आकर्षण :-

1. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क के चैक/RTGS/IMPS/NEFT से भी भुगतान की सुविधा।
2. भूखण्डों का सरती दरों पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन।
3. लॉटरी, आवेदन की अन्तिम तिथि से एक माह में निकाली जायेगी।
4. भुगतान 15%, 35% एवं 50% क्रमशः 30 दिवस, 120 दिवस एवं 180 दिवस में किये जाने की सुविधा।

न्यास द्वारा इस योजना में भूखण्डों की दरों में कमी, आवेदन करने हेतु पात्रता में विशेष छूटें एवं विशेष आकर्षण हेतु कई प्रकार की शिथिलतायें दी गई हैं। इन्हें अन्य योजनाओं अथवा नीलामी के भूखण्डों के लिए आधार या उदाहरण नहीं बनाया जा सकेगा।

योजना स्थल एवं विशेषताएँ :-

* सीए नगर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना :-

1. हैगिंग ब्रिज से 4 किमी0 की दूरी पर
2. आउटडोर मुख्य रोड 36/24 मीटर
3. योजना के समीप ट्रक टर्मिनल, गोदाम, होलसेल मार्केट, स्टोन एक्सपोर्ट, चिकित्सा सुविधाएं, आवासीय योजनाएं, पार्क आदि का प्रावधान
4. कोटा-चितौड़ रोड (नेशनल हाईवे-27) से लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर
5. कोटा-जयपुर रोड (नेशनल हाईवे-52) से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर

आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है :-

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप :-

1. राजस्थान के मूल निवासी है।
2. आप की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष की हो चुकी हो।
3. आवेदक को 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' के अंतर्गत कोटा शाखा का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक है। सदस्यता संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
- 2.
4. आवेदन सम्बन्धी निर्धारित अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।
5. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
6. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास हैं तब भी वह भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

योजना का नाम : सीए नगर
शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना

दर 8,000/- प्रति वर्ग मीटर

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	9 X 18	162	1743.12	100	12,96,000/-	1,30,000/-
2	7.5 X 15	112.5	1210.5	200	9,00,000/-	90,000/-
			योग	300		

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रु. प्रशासानिक शुल्क राशि जमा होगी, जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :-

सीए नगर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक को 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इंडिया' के अंतर्गत कोटा शाखा का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक है। सदस्यता संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
5. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।
6. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है।
7. संयुक्त नाम से आवेदन करने की स्थिति में दोनों एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।
2. योजना के अन्तर्गत सभी साइजों के लिए आवेदन पत्र एक ही है। कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/ज़िले का नाम, आधार नं०, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।
4. आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करवाना होगा।
5. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
6. आवेदन पत्र इस पुस्तिका में वर्णित शर्तों, विशेष अनुदेशों आदि का पूर्ण अध्ययन कर भरा जावे। आवेदन एकल नाम से या संयुक्त नाम से निश्चय करके ही भरा जावे। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करें, जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
8. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित योजना के लिए निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
9. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।

10. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक हैं तथा प्रपत्रों पर दोनों के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश

- आवेदक को 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' के अंतर्गत कोटा शाखा का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक है। सदस्यता संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सदस्यता प्रमाण पत्र की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए।
- आवेदक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही PAN CARD की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए।
- आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंगन करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
- कृपया मोबाइल नं०, एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं० इसले आईडी (यदि कोई हो) दे। ~~COMPLEMENTARY COPY~~ यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
- आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
- पत्राचार, मांग/आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
- एक व्यक्ति के द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है।
- पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सचिव, नगर विकास न्यास कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए।

अथवा

पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क RTGS के माध्यम से भी (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) हस्तान्तरित करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (UTR No. का उल्लेख करते हुए) निर्धारित बैंक में जमा कराया जा सकेगा।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक संलग्न करते हुए आवेदन फार्म योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/चैक द्वारा आवेदन पुस्तिका में निर्धारित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी।
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका में योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समाप्त से पूर्व जमा किये जा सकेंगे। यूआईटी समाप्त समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. किसी भी योजना में आवेदन के पूर्व भली-भांति विचार कर लेवे। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्वा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करले कि निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उस श्रेणी में भूखण्ड उपलब्ध है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28-02-2023 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/चालान/
2. 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
4. कर योग्य आय (Taxable Income) होने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
5. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
6. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमें खाता संख्या एवं बैंक के IFSC कोड नं. हो।

आवंटन की प्रक्रिया

- (1) लॉटरी योग्य भूखण्डो की कुल संख्या 300 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी।
- (2) आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।
- (2) पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर उपलब्ध भूखण्डों की लॉटरी के अंतर्गत सफल आवेदकों की सूची न्यास की वेबसाईट <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota> पर भी उपलब्ध करवाई जायेगी तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चर्चा की जावेगी।
- (4) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र शिविर आयोजित करके उसमें वितरित किये जायेंगे अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे। आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिमेदार नहीं होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की अवधि पद्धति:-

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा:-

आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में	15 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 120 दिवस में	35 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 180 दिवस में	50 प्रतिशत
(जमा पंजीयन राशि कम करते हुए)	

नोट:-

1. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा तथा $180 + 90 = 270$ दिवस तक 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है। इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में सम्पूर्ण राशि स्क्रु मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 4 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
3. साईट एप्लान के ₹ 200/- देय अन्तिम किश्त अर्थात् देय 50 प्रतिशत राशि के साथ तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो उसके साथ जमा करवाने होंगे।

आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक / डी.डी. / पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुरितका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी/धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां डाक/कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक/आवंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी- यदि आवेदक की कर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उददेश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योंकि इन ब्योरों को धन वापसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) :-

सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्डों की रजिस्ट्री:-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर न्यास में पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। 12 माह के अन्दर पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/- प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। तदपरान्त नगरीय कर (लीज) जमा करने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। अपहली द्वारा इस पट्टा विलेख का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा। आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड जारी करते समय नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। प्रथम 5 वर्ष में नगरीय कर आधी दर अर्थात् 1.25% प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात्/प्रत्येक हस्तानान्तरण पर नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।
2. आठ (8) वर्ष नगरीय कर पूर्ण दर से एकमुश्त जमा करवाने पर 99 वर्ष तक नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्जा:-

लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कब्जा पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी होने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का भौतिक कब्जा न्यास के अधिकृत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतिरिक्त भूमि होने पर नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

भूखण्डों का आवंटन 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' के अंतर्गत कोटा शाखा के चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स के लिए है। अतः इनका आवासीय उपयोग चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स परिवारों द्वारा किया जा सकेगा।

1. When it can be sold and X to show
Buy in reckoning Period
- 2.

(14)

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

भूखण्ड पर 7 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य करना होगा। 7 वर्ष के अन्दर एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

अन्य:-

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डों की एक इकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट/चैक/RTGS/IMPS/NEFT सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
6. भूखण्डों की माप, संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्ड का कब्जा नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आवंटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेवे तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।
13. आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित साईंज/क्षेत्रफल के लिए आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित कीमत के अलावा (a) कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10% अतिरिक्त चार्ज (b) क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि (c) नगरीय कर की राशि (d) रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में देय स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि चार्जेज देय होंगे। यदि आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की जाती है जैसे – (i) समय पर राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो नहीं की जाती है जैसे – (ii) समय पर रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख न्यास में ब्याज/शास्ति (iii) निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करवाया प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति (iv) निर्धारित अवधि में पंजीयन कार्यालय से पंजीयन कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति की राशि इत्यादि चार्जेज भी देय होंगे।
14. आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

सीए नगर

शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं पुत्र/पति/पुत्री
..... आयु निवासी
..... घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि मैं 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' के अंतर्गत कोटा शाखा का पंजीकृत सदस्य हूँ। मेरी सदस्यता संख्या है।
- (3) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तों की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पति/पुत्री श्री
..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर



नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 28.02.2023

आवेदन पत्र
सीए नगर
शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना

नवीनतम्
स्व प्रमाणित
फोटो

1. आवेदक/आवेदक फर्म/संयुक्त आवेदक का नाम :
2. आवेदक के पिता/पति का नाम :
3. आवेदक का स्थाई पता..... मोबाईल/टेलिफोन नं
4. बैंक खाता संख्या..... बैंक का नाम IFSC Code
- स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER)
- आधार कार्ड नं.
- आवेदक की 'दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया' कोटा शाखा की सदस्यता संख्या
- आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

 9 X 18 = 162 व.मी. 7.5 X 15 = 112.5 व.मी.

8. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-

(1) चालान नं.

(2) दिनांक _____

(3) राशि
(4) डीडी/चैक नं.

9. आवेदन पत्र के साथ सलग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

 आधार कार्ड PAN CARD D.D./Cheque कैशिल चैक CA सदस्यता प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र

10. मैंने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्तें खीकार हैं।

11. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

12. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

13. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद : सीए नगर

क्रमांक

शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना

नाम.....
पता :.....

भूखण्ड क्षेत्रफल (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है)

चालान राशि

बैंक व शाखा का नाम PNB.....

चालान संख्या

जमा करने की तिथि

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

P.N.B. A/C No. 1134100100002661 IFSC Code: PUNB0113410	P.N.B. A/C No. 1134100100002661 IFSC Code: PUNB0113410	P.N.B. A/C No. 1134100100002661 IFSC Code: PUNB0113410	
नगर विकास न्यास, कोटा 	नगर विकास न्यास, कोटा 	नगर विकास न्यास, कोटा 	
प्रथम प्रति (दोस्रा अपने फर्म के साथ संलग्न करने हेतु) चालान नं. दिनांक पिता / पति का नाम पता	द्वितीय प्रति (दोस्रा स्टेमेंट के साथ चूल्हाईटीलो को प्रस्तुत करने हेतु) चालान नं. दिनांक पिता / पति का नाम पता	तृतीय प्रति (दोस्रा अपने पास रखने हेतु) चालान नं. दिनांक पिता / पति का नाम पता	
सीए नगर शम्भुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना विवरण	सीए नगर शम्भुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना विवरण	सीए नगर शम्भुरा ग्रोथ सेन्टर एकीकृत योजना विवरण	
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 रुपौ मीटर	पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 रुपौ मीटर	पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 रुपौ मीटर	
प्रशासनिक शुल्क Cheque/DD/ RTGS/IMPS/NEFT No. दिनांक.....	प्रशासनिक शुल्क Cheque/DD/ RTGS/IMPS/NEFT No. दिनांक.....	प्रशासनिक शुल्क Cheque/DD/ RTGS/IMPS/NEFT No. दिनांक.....	
योग :-	92,000/-	योग :-	92,000/-
अधिक रूपये बानवे हजार मात्र	अधिक रूपये बानवे हजार मात्र	अधिक रूपये बानवे हजार मात्र	
आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर	आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर	आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर	

नगर विकास न्यास कोटा से भूखण्ड क्रय हेतु ई-ऑक्शन की प्रक्रिया।

URBAN IMPROVEMENT TRUST, KOTA

TERMS AND CONDITION OF AUCTION

(कोविड-19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में नीलामी में भूखण्ड क्रय करने पर विशेष शिथिलताओं सहित)

1. Earnest money : Every bidder shall be required before being permitted to bid in auction to deposit an earnest money (in short EMD) @ 2% of the bid start price of the plot which shall be refunded to him at the close of the bid or adjusted against premium, in case of successful bidder.
2. The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled.
3. After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 120 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% amount within 120 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 60 days or within extended time period as per provisions along interest at the rate of 9% on remaining amount from the date of auction.
4. Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 180 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 180 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 90 days along interest at the rate of 9% on remaining amount from the date of auction.
5. If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 1% rebate of the bid amount.
6. In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled.
7. The bidder will have to submit the copy of PAN card.
8. Bid shall be acceptable in multiples of Rs. 10/- Per Sq. Ft in case of Residential Plot, Rs. 50/- Per Sq. Ft in case of Commercial Plot and Rs. 1000/- Per House/Constructed Shop.
9. Property is being sold on "as is where is" basis.
10. Area of plot can be increased or decreased as per actual site conditions. In case of excess area, extra amount will have to deposit and in case of short area, amount will be refunded.
11. The bidders are expected to kindly visit the site of proposed plot before participation in the bid process.
12. UIT, Kota reserves the right to accept or reject the highest bid, which shall be final and binding.
13. Terms & Conditions of UIT, Kota shall apply.
14. As per Income Tax proviso 194-IA a Transferee (Purchaser) is responsible to deposit 1% TDS of immovable property which cost is 50 lakhs or more than 50 lakhs.

नगर विकास न्यास कोटा से ई- ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत भूखण्ड की नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया:-

1. ई ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम बिडर को <https://sso.rajasthan.gov.in> पर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा यूजर आ ई-डी तथा पासवर्ड से लॉगिन करना होगा तथा Application tab पर बिलक करके URBAN SERVICES पर बिलक करके Citizen Services में E Auction की Services को Subscribe करना होगा।
2. तत्पश्चात My Profile tab में add new profile पर बिलक करके, यदि आप व्यक्तिगत रूप से नीलामी में भाग लेना चाहते हैं तो Individual Profile पर बिलक करना होगा अन्यथा यदि आप किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना चाहते हैं तो Non Individual पर बिलक करना होगा। Profile Create करना तथा approved होना, न्यास की E-Auction में भागीदारी के लिए आवश्यक है।
3. Refund Account tab में refund के लिए bank account add करना आवश्यक है।
4. E Auction tab में upcoming/running auction में View Details पर बिलक करके Plot की सम्पूर्ण डिटेल देखी जा सकती है तथा Participate button पर बिलक करके Participation Fee तथा EMD का पेमेन्ट करके बिडर ई ऑक्शन में भाग ले सकेगा।

Note:- ई ऑक्शन की प्रक्रिया में प्रोफाइल अप्रूवल तथा रिफंड अकाउंट अप्रूवल में सामान्यतः 2 से 3 कार्य दिवस का समय लगता है। अतः समय रहते हुए यह कार्य कर लेवे, अंतिम तिथि का इतजार न करें।

आवेदन पत्र हेतु विशेष सूचना

1. इस पुस्तिका में वर्णित योजना में किसी भी साईज / क्षेत्रफल के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन फार्म एक ही है किन्तु प्रत्येक साईज / क्षेत्रफल के लिए चालान फार्म पृथक-पृथक है।
2. आवेदन फार्म पंजाब नैशनल बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा से 500/- जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जा सकते हैं।



**पंजाब नैशनल बैंक की
कोटा में स्थित सभी शाखाएं**
